तायर, सिकंदरिया व कुस्तुनतुनिया तीन व्यापारिक केन्द्र | 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया जिससे यूरोप व एशिया के मध्य पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए।

Portugese नाविक Bartholomodias 1487 ई Cape of Good hope

ⓐ आधुनिक शिक्षा प्रणाली (1700AD - 1947AD)

Colombus - 1494 → America, 1498 - Vasodegama

1793 का पत्र → भारत प्रारम्भ से ही विदेशीयों के आकर्षण का केन्द्र रहा है 15वीं शताब्दी के अन्त में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा (17 May 1498) ने यूरोप से भारत आने के समुद्री जल मार्ग की खोज की थी वह पहला यूरोपीय व्यक्तियां जो जल मार्ग द्वारा भारत की पश्चिमी बन्दरगाह कालीकट पहुँचने में सफल हुआ परिणामतः 1500 में पुर्तगालीयों ने भारत में प्रवेश किया लगभग 100 वर्ष तक इनका यह व्यापार के क्षेत्र में एकछत्रराज्य रहा है | 17 वीं शताब्दी के प्रारम्भ (1600 / 1613) में यहाँ अंग्रेज व्यापारियों का आगमन हुआ इनके बाद इसी शताब्दी में क्रमशः डच (1602), फ्रांसीसी (1611), डेन (1700) (1616) व्यापारीयों का प्रवेश हुआ इन व्यापारीयों में संघर्ष होना स्वाभाविक हुआ अन्त में यहाँ अंग्रेजी व्यापारी पैर जमाने में सफल हुए |

पुर्तगाल (1498)
डच (1595)
अंग्रेज (1600)
डेन (1616)
फ्रांसीसी (1664)

उस समय भारत की ~~आन्तरिक~~ आन्तरिक स्थिति बहुत नाजुक थी देश के छोटे-2 राज्यों में विभाजित था औरंगजेब (1659-07) तो अपने पूरे कार्यकाल में विद्रोह के दमन में ही लगा रहा सच बात तो यह है कि उसके शासनकाल में ही

इस देश में मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था (1200-1700) तक तो यहाँ मुस्लिम शासको और इस्लाम धर्म का वर्चस्व रहा परन्तु उसके बाद एक नये युग की शुरुआत हुयी इतिहासकार इस नये युग को आधुनिक काल कहते है आधुनिकाल को भी इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजित किया -

(i) ब्रिटिश काल (1700 - 1947 तक)
(ii) स्वतन्त्र काल (1947 - आज तक)

ब्रिटिश शासनकाल

(1700 - 1857) ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम

(1850 - 1947) ब्रिटिश शासनकाल

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक ऐतिहासिक कार्यक्रम :- भारत प्राचीन समय से ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का केन्द्र रहा है। 1498 में नाविक वास्कोडिगामा द्वारा भारत पुर्तगाली जल मार्ग की खोज के भारत यह यूरोपी व्यापारी आने लगे इनमें सबसे पहले 1510 में पूर्तगाली व्यापारी आये इनकी सफलता से प्रभावित होकर 1599 में इंग्लैण्ड के व्यापारीयों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी का निर्माण किया

1600 में इंग्लैण्ड की तत्कालीन महारानी एलीजाबेथ प्रथम ने इस कम्पनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की 1609 में कैप्टन हॉकीन्स भारत आए और उन्होने तत्कालीन बादशाह जहाँगीर से भारत में अपने व्यापारीक केन्द्र स्थापित करने की आज्ञा माँग ली उस समय तो जहाँगीर सहमत नहीं हुआ परन्तु 1630 में उसने सूरत में अपने कारखाने एवं व्यापारिक केन्द्र खोलने की आज्ञा प्रदान कर दी। प्रारम्भ में कम्पनी ने सूरत को ही अपना केन्द्र बनाया और उसके बाद धीरे-2 बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अपने केन्द्र स्थापित किये।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी वाले अपने साथ ईसाई पादरी लाये से ऐसा उल्लेख मिलता है कि ब्रिटेन से आने वाले प्रत्येक जहाज के साथ एक पादरी अवश्य आता था कम्पनी ने इन पादरीयों को अपने कम्पनी कार्य करने वालो के बच्चो की शिक्षा का कार्य भार सौंपा था। परन्तु इन पादरियों का इरादा कुछ और ही था ये यह शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म की शिक्षा भी देना चाहते थे कम्पनी के संचालको को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी प्रारम्भ में

① प्रत्येक कारखाने में धर्मगुरु रखे जाये

② प्रत्येक किले, छावनी तथा कारखानों में विद्यालय खोले जाये

③ 500 टन या इससे अधिक भार वाले प्रत्येक जहाज में एक पादरी भारत भेजा जाए।

कम्पनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था इसलिए शिक्षा की व्यवस्था और ईसाई धर्म के प्रचार की गति कुछ धीमी रही [1698] में ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नया आज्ञा पत्र जारी किया इस आज्ञा पत्र में उसने अपनी छावनियों में पादरी रखने और विद्यालय चलाने की आज्ञा प्रदान की और साथ ही कम्पनी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की परन्तु [1757] के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध की विजय के बाद कम्पनी तत्कालीन बंगाल, बिहार और अवध प्रान्तों की शासक बनी तो उसके हौसले और बुलन्द हो गये। अब

अंग्रेजो ने सम्राट शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की

उसके सामने प्रश्न था कि अपने अधीन क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में कम्पनी का क्या मत है? कम्पनी के दो मत उभरे एक वर्ग का मत था कि भारत में अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा की व्यवस्था की जाये भारतीयों को पाश्चात्य भाषा, साहित्य, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दी जाए इसके साथ-2 उन्हें ईसाई धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी जाए दूसरे वर्ग का मत था - कि भारतीयों को ज्ञान विज्ञान

से परिचित न कराया जाये उन्हे केवल इनकी भाषाओ का सामान्य ज्ञान कराया जाये और साथ ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाए।

1792 (चार्ल्स ग्रान्ट) → 1792 में चार्ल्स ग्रान्ट ने इंग्लैण्ड में एक पुस्तिका

Observation on the state of Society among the asiatic Subject of Great Britain

प्रकाशित की उसने अपने अनुभव के आधार पर इस पुस्तक में दो बातो पर बल देकर लिखी पहली यह कि भारत के हिन्दु और मुसलमान दो अज्ञानी है।

दूसरी यह कि भारत के धर्म-इनके धर्म ग्रन्थ अंधविश्वासो पर आधारित है उसने यह तक लिखा कि मोहम्मद साहब झूठे पैगम्बर है उसने अपनी पुस्तक में भारतीयो की अज्ञानता को और अंधविश्वासो को दूर करने के लिए पांच सुझाव दिये है।

ग्रान्ट के द्वारा दिए गए पाँच सुझाव :-

1. भारत में शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाय
2. अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय
3. भारतीयों को अंग्रेजी भाषा व साहित्य पढ़ाया जाय
4. भारत में पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान का प्रसार किया जाय
5. भारत में ईसाई धर्म का व्यापक रूप से प्रसार किया जाय

ब्रिटेन की पार्लियामेन्ट के एक सदस्य रॉबर विलबर फोर्स ग्रान्ट के विचारों से बहुत प्रभावित हुए 1793 ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आज्ञा पत्र पुनर्नवर्तन के लिए वहाँ की पार्लियामेन्ट में पेश हुआ तो रॉबर ने एक प्रस्ताव रखा कि इसमें एक ऐसी धारा जोड़ दी जाय जिससे मिशनरीयों और स्कूल शिक्षकों को बड़ी संख्या में भारत भेजा जा सके और उनके द्वारा भारतीयों को यूरोपीय ज्ञान और सच्चे धर्म की शिक्षा दी जा सके उनके इस प्रस्ताव का सबसे अधिक विरोध पार्लियामेन्ट के एक सदस्य रैंडर जैकसन ने किया उन्होंने कहा "हमने अपनी शिक्षा का प्रसार करके अमेरिका में अपने उपनिवेशों को खो दिया आज है, हमे भारत में वही करने की आवश्यकता नहीं है" एक लम्बी बहस के बाद रॉबर का प्रस्ताव ना मंजूर कर दिया गया परन्तु इस आज्ञापत्र में एक धारा यह जोड़ दी गयी कि भारत की जनता के उत्थान के लिए उन्हें उपयोगी ज्ञान और धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जाएगी परिणाम यह हुआ कि भारत में ईसाई मिशनरीयों के आने में कुछ रोक लगी और प्राथमिक शिक्षा और ईसाई धर्म दोनो के प्रसार की गति कुछ कम हो गयी परन्तु कम्पनी अपने प्राथमिक स्कूल बराबर चलाती रही।

इस बीच कम्पनी को अपने व्यापार और शासन दोनों क्षेत्रों में कनिष्ठ पदों पर कार्य करने के लिए अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीय की और अधिक आवश्यकता हुयी अतः उसने अपनी शिक्षा नीति में थोड़ा परिवर्तन किया और उच्च शिक्षा की संस्थाए खोलना शुरू किया उसने 1781 में कलकत्ता मदरसा, 1791 बनारस संस्कृत कॉलेज, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, 1818 पूना संस्कृत कॉलेज

कलकत्ता मदरसा :- 1772 में वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ वारेन ने कलकत्ता के सम्भ्रांत मुसलमानों के निवेदन पर 1781 में इस मदरसे की स्थापना की इस मदरसे की स्थापना के पीछे उसके जो प्रमुख उद्देश्य थे

पहला के मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना कम्पनी तथा शासन के कनिष्ठ पदों के लिए भारतीयों विशेषकर मुसलमानों को तैयार करना

इसके पाठ्यक्रम अरबी, फारसी और मुसलिम कानून की शिक्षा के साथ-2 अंग्रेजी भाषा और साहित्य अंकगणित रेखागणित, तर्कशास्त्र, नक्षत्रशास्त्र, और दर्शन की शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया इसमें शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी कुछ ही समय में इस मदरसे की ख्याति भारत वर्ष में फैल गयी और देश के हर भाग से छात्र इसमें प्रवेश लेने आने लगे।

बनारस संस्कृत कॉलेज :- इस कॉलेज की स्थापना बनारस राज्य के तत्कालीन रेजीडेंट जोनेथन डंकन ने 1791 में की थी इस कॉलेज की स्थापना के पीछे दो मुख्य उद्देश्य थे पहला भारत के मूल निवासी हिन्दुओं की सहमति प्राप्त करना, दूसरा कम्पनी तथा शासन के कनिष्ठ पदों पर कार्य करने के लिए भारतीयों विशेषकर हिन्दुओं को तैयार करना इस प्रकार जिन उद्देश्यों से कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गयी थी उन्हीं उद्देश्यों से बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गयी थी इसका पाठ्यक्रम भी इसी तर्ज पर निश्चित किया गया इसमें संस्कृत और हिन्दी भाषा, हिन्दू धर्म दर्शन, और हिन्दू नियम कानून की शिक्षा की व्यवस्था की गयी और साथ ही अंग्रेजी भाषा और साहित्य अंकगणित, रेखागणित, तर्कशास्त्र, नक्षत्रशास्त्र, दर्शन और इतिहास की शिक्षा की व्यवस्था की गयी इसमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी दोनो रखा गया कलकत्ता मदरसे की भांति इस कॉलेज की ख्याति भी उस समय पूरे भारतवर्ष में फैल गयी और देश के हर भाग के छात्र यहां अध्ययन करने आने लगे।

फोर्ट विलियम कॉलेज :- इस कॉलेज की स्थापना भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड वैलीजेली Wellesley ने 1800 में कलकत्ता में की। कलकत्ता मदरसा मुख्यत: मुसलमानों के लिए स्थापित किया गया था और बनारस संस्कृत कॉलेज मुख्यत: हिन्दुओं के लिए स्थापित किया गया था परन्तु यह कॉलेज इन दोनो के लिए स्थापित किया गया था साथ ही विदेशी अंग्रेजो के बच्चों की शिक्षा के लिए किया गया था इसके मुख्य उद्देश्य थे हिन्दू, मुसलमान और अंग्रेज सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सभी प्रकार के असैनिक कार्यों के लिए तैयार करना इसका पाठ्यक्रम भी अतिविस्तृत था इसमें संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था की गयी और साथ ही इतिहास भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अंकगणित, रेखागणित, तर्कशास्त्र और दर्शन आदि अनेक विषयों

की शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था डॉ. केकरे, कोलब्रुक, पं. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि विद्वान इसमें शिक्षक नियुक्त किए डॉ. गीलक्रिस्ट (1804 – 1820) तक इसके प्रिंसिपल रहे इसमें हिन्दू, मुसलमान और ईसाई विशेष रूप से कम्पनी के अधिनिष्ठ कर्मचारीयों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे।

पूना संस्कृत कॉलेज → 1818 में अंग्रेजो ने पेशवा राज्य का अंत कर बम्बई प्रेसीडेन्सी का निर्माण किया। 1819 में एलफिंस्टन इस प्रेसिडेन्सी का गवर्नर नियुक्त हुआ उसे जब यह जानकारी हुयी कि पेशवा अपने दक्षिणाकोष से लगभग 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष ब्राह्मणों को दान में देते थे तो उसने दक्षिणाकोष के एक अंश से 1821 में पूना में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की इस संस्था की स्थापना का पहला मुख्य उद्देश्य दक्षिण के प्रभावशाली ब्राह्मणों को संतुष्ट करना था और दूसरा उद्देश्य संस्कृत भाषा और साहित्य की शिक्षा के साथ-2 अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा, और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की व्यवस्था करना था

1813 का चार्टर एक्ट :- कम्पनी का आज्ञा पत्र प्रति 20 वर्ष बाद पुनर्रावर्तन हेतु ब्रिटिश पॉलियामेण्ट में पेश होता था 1793 में जब कम्पनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन के लिए ब्रिटिश पालियामेण्ट में पेश हुआ था तब उसके सदस्य Robert Wilberforce ने चार्ल्स ग्रान्ट और ईसाई मिशनीरों के विचारों का समर्थन करते हुए यह प्रस्ताव रखा था कि आज्ञा पत्र में एक ऐसी धारा जोड़ दि जाय जिससे यूरोपीय ईसाई मिशनीयों को भारत जाने और वहां ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रसार में खुली छूट हो पॉलियामेण्ट के एक दूसरे सदस्य Jackson ने इस प्रस्ताव का विरोध किया एक लम्बी बहस के बाद Robert bilban force का प्रस्ताव नामंजुर कर दिया गया 1793 के 20 वर्ष बाद जब 1813 में कम्पनी का आज्ञापत्र पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पॉलियामेण्ट में पेश हुआ तो इस बार अधिकतर सदस्यों ने मिशनरीयों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया परिणामस्वरूप इस आज्ञापत्र में त सम्बन्धी 3 धाराए जोड़ी गयी –

1) किसी भी यूरोपीय देश की मिशनरीयों को भारत में प्रवेश करने और वहाँ ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रसार करने की पूरी छूट होगी
2) अब ईस्ट इण्डिया कम्पनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने शासित प्रदेशो में शिक्षा की व्यवस्था करें।
3) प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग साहित्य के रख-रखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन

और भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्र में रहने वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में लिया जाए (धारा 43 के अनुसार)

परन्तु इस आज्ञापत्र में शिक्षा के स्वरूप और माध्यम के विषय में कोई संकेत नहीं था फिर धारा 43 के संबंध में भी बड़ी भ्रांति थी कम्पनी अधिकारी साहित्य और भारतीय विद्वान शब्दों का भिन्न-2 अर्थ ले रहे थे कुछ विद्वान साहित्य से अर्थ भारतीय साहित्य से ले रहे थे तो कुछ पाश्चात्य साहित्य से भारतीय साहित्य के विषय में भी भिन्न-2 मत थे कुछ संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फारसी, साहित्य से ले रहे थे और कुछ सभी भारतीय भाषाओं से ले रहे थे इनके विपरीत कुछ सदस्य साहित्य से अर्थ लैटिन और अंग्रेजी साहित्य से ले रहे थे भारतीय विद्वान का अर्थ भी सदस्य भिन्न-2 रूप से ले रहे थे परिणाम यह हुआ कि कम्पनी इस एक लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने के संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं बना पायी और प्रतिवर्ष यह धनराशि भिन्न-2 रूप से व्यय होती रही।

परन्तु भारतीयों की शिक्षा का स्वरूप क्या हो? इसका माध्यम क्या हो? और यह किस प्रकार व्यवस्थित कि जाय? इस संदर्भ में दो विचारधाराएं उभरी

i) प्राच्यवादी
ii) पाश्चात्यवादी

मे दो विचारधाराएं कम्पनी के सदस्यों के बीच ही नहीं उभरी ब्रिटिश पॉलियामेण्ट के बीच में भी उभरी और आश्चर्य की बात यह है कि इस संदर्भ में भारतीय भी दो खेमों में बंट गए एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी और भारत - ब्रिटेन दोनो स्थानों पर प्राच्य, पाश्चात्य विवाद खड़ा हो गया।

प्राच्य - प्राश्चात्य विवाद :-

प्राच्य - पाश्चात्य विवाद
(1 lakh) - 1813 Aug (43 Article)

प्राच्य	पाश्चात्य
अरबी, फारसी, हिन्दी,	अंग्रेजी
संस्कृत, भारतीय साहित्य	पाश्चात्य साहित्य
ज्ञान - विज्ञान	(भारतीय विद्वान जिन्हे अंग्रेजी का ज्ञान हो, कम्पनी के नवयुवक, राजा राम मोहन राय)

Charles Grant

समर्थन → जोनथन डंकन, विलसन, प्रिंसप, वारेन हेस्टिंग्स ये सभी कम्पनी के पुराने कर्मचारी, Minto

~~कम्पनी के सदस्य~~

भारत की हित की दृष्टि से सोचने वालो का मत →

भारत की अपनी संस्कृति है उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए उसकी भाषा व साहित्य की शिक्षा देना आवश्यक है

राजा राम मोहन राय, गंगाधर शास्त्री आदि का तर्क था कि इस शिक्षा से

भारतीय आधुनिकतम ज्ञान-विज्ञान से परिचित होंगे और अपने देश की उन्नति कर सकेंगे

ब्रिटेन के हित की दृष्टि से सोचने वालों का तर्क → 1) प्रिंसेप आदि का तर्क था कि भारतीय पारंपरिक भाषा साहित्य और ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने योग्य नहीं है।

2) विलसन आदि का तर्क था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देने से भारत में अंग्रेजों का विरोध हो सकता है

3) कुछ लोगों का तर्क था कि यदि भारतीयों को पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान-विज्ञान का ज्ञान कराया जाएगा तो वे उनके समकक्ष हो जाएंगे और भारत में ब्रिटेन के शासन को उखाड़ फेंकेंगे

पाश्चात्य → 1) भारत में पाश्चिमी संस्कृति का विकास किया जा सकेगा

2) कम्पनी के व्यापार और शासन कार्य के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे कनिष्ठ कर्मचारी (बाबू वर्ग) तैयार किए जा सकेंगे

3) भारत में अंग्रेज परस्त लोग तैयार किए जा सकेंगे जो जन्म से भारतीय होंगे परंतु विचारों से अंग्रेज होंगे

4) भारत में ब्रिटिश शासन की जड़े मजबूत होंगी

परिणाम → इस प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के कारण कम्पनी 20 वर्ष तक अपनी कोई भी शिक्षा नीति निश्चित नहीं कर सकी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि यह विवाद न केवल कम्पनी के कर्मचारी के बीच या अपितु ब्रिटेन की पॉलियामेण्ट के सदस्यों के बीच भी उत्पन्न हो गया, भारतीयों के बीच में तो यह विवाद होना स्वभाविक था 1823 में कम्पनी ने इस समस्या पर विचार करने हेतु 10 सदस्यीय एक समिति का गठन किया इसमें भी दो वर्ग बन गए एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी और यह समस्या समाप्त नहीं हो

1833 का चार्टर एक्ट → (आज्ञापत्र) → 1813 के 20 वर्ष बाद 1833 में ब्रिटिश पॉलियामेण्ट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नया आज्ञापत्र जारी किया इस आज्ञा पत्र में कम्पनी का यह उत्तरदायित्व निश्चित किया गया कि वह अपने द्वारा शासित प्रदेशों में शिक्षा की उचित व्यवस्था करे इस आज्ञापत्र में शिक्षा सम्बन्धी धाराएं इस प्रकार है —

i) बंगाल भारत का गवर्नर, "गवर्नर जनरल" होगा और अन्य प्रान्तों के गवर्नर कुछ मामलों में उसके अधीन होंगे

ii) गवर्नर जनरल की Council में एक कानूनी सलाहकार होगा जो गवर्नर जनरल को किसी भी मामले में कानून से अवगत कराएगा

iii) शिक्षा के लिए 1813 के आज्ञापत्र में स्वीकृत धनराशि 1 lakh प्रतिवर्ष थी यह अब

10 लाख रुपया प्रतिवर्ष निश्चित की जाती है।

(iv) किसी भी भारतीय को जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर कम्पनी में नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा, किसी भी पद पर नियुक्ति अभ्यार्थी की शैक्षिक योग्यता और कार्यक्षमता के आधार पर की जाएगी

v) किसी भी देश की ईसाई मिशनरीयों को भारत आने की छूट होगी परन्तु वे भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाएगी।

समालोचना :-

लाभ ⇒

i) गवर्नर जनरल द्वारा शिक्षा नीति के निर्धारण की शुरुआत

ii) भारत में ईसाई मिशनरीयों का बड़ी संख्या में प्रवेश, शिक्षा के विकास में सहयोग

iii) शिक्षा पर व्यय की जाने वाली धनराशि के एक दम दस गुना हो जाने से शिक्षा के विकास में तेजी

iv) भारतीयों के लिए नौकरी के द्वार खुलने से अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षण

हानि =

(i) शिक्षा की स्पष्ट नीति का अभाव

(ii) ईसाई मिशनरीयों के नापाक इरादों को प्रोत्साहन

(iii) भारतीय पद्धति के स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार

(iv) अंग्रेजी के प्रति आकर्षण, वर्ग भेद की शुरुआत

मैकाले का विवरण पत्र ⇒ मैकाले को भारतीय शिक्षा के पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है।

1813 Charter Act → अस्पष्ट प्रावधान → प्राच्य-पाश्चात्य विवाद → विवाद का उग्र होना → मैकाले का वायसराय के कानूनी सलाहकार के रूप में 10 जून 1834 में भारत आया → नियुक्त किया → की घोषणा → मैकाले मिनट 2 Feb, 1835 → मैकाले द्वारा प्रस्तावित शिक्षा नीति → बैंटिक का प्रस्ताव 7 March 1835

Article 43 { 1 Lakh — साहित्य, भाषा, विज्ञान

Act-43, व्याख्या 1813 की व्याख्या:
1) प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान निरर्थक
2) पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान महत्वपूर्ण
3) अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक
4) उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था
5) शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति

बैंटिक का प्रस्ताव:
1) शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए होगा
2) देशी विद्यालय बंद नहीं किए जाएँगे
3) प्राच्य साहित्य के मुद्रण व प्रकाशन पर कोई व्यय नहीं
4) बची धनराशि को अंग्रेजी भाषा, साहित्य, ज्ञान विज्ञान पर व्यय किया जाएगा

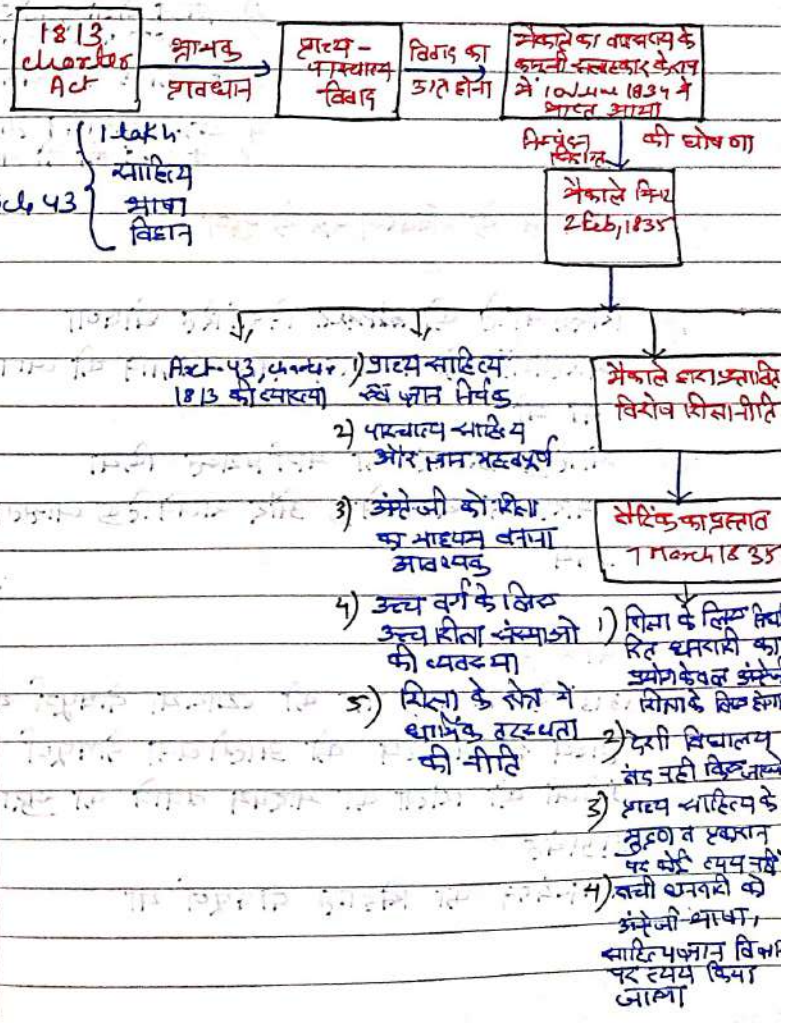

15 दिन बाद | बैंटिक स्वदेश गया → 1835 में ऑकलैण्ड भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया

↓ भारतीय शिक्षा को अंग्रेजी परस्त बनाया

↓ 24 Nov 1839 को नई शिक्षा नीति देना व प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करना

1) प्राच्य विद्यालय यथावत चलेंगे।
2) प्राच्य शिक्षा के लिए अतिरिक्त 31,000 रु दिए जाएंगे।
3) शिक्षकों के लिए समान वेतन
4) 25% स्कॉलरशिप प्राच्य विद्यालय के छात्रों को दी जाएगी

मैकाले के विवरण पत्र के गुण →

i) शिक्षा नीति की निर्धारित घोषणा
ii) भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की जानकारी दी थी।
iii) भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया
iv) भारत में सामाजिक और राजनैतिक जागृति का उदय

दोष →

i) 1813 के विवरण पत्र की व्याख्या दोषपूर्ण थी
ii) प्राच्य साहित्य की आलोचना दोषपूर्ण
iii) अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव अनुचित
iv) निस्यंदन का सिद्धान्त दोषपूर्ण था

v) उच्च वर्ग के उच्च शिक्षा देना अनुचित

एडम रिपोर्ट

वाइसराय लार्ड विलियम बैंटिक ने Adam's को बंगाल व बिहार तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने के लिए विशेष Commissioner के रूप में नियुक्त किया इस कार्य हेतु बैंटिक ने एडम्स को 1000 रु प्रतिमाह की धनराशि भी प्रदान करने का निर्णय किया उसने लगातार 3 वर्षों तक समस्त शैक्षिक गतिविधियों पर नजर रखी तथा समस्त जाँच के आधार पर तीन प्रतिवेदन 1835, 1836, 1838 में क्रमशः प्रस्तुत किए यह रिपोर्ट एडम्स ने लॉर्ड ऑकलैण्ड के समक्ष उपर्युक्त तीन प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुत की

प्रथम प्रतिवेदन (1835) → इसमें उसने सम्पूर्ण बंगाल प्रान्त के विद्यालय सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए उसके सर्वेक्षण के अनुसार बंगाल और बिहार में कुल एक लाख विद्यालय चल रहे थे तथा बंगाल में ऐसा कोई गांव नहीं था जहां प्राथमिक विद्यालय न हो इस क्षेत्र में प्रति 450 व्यक्तियों पर एक विद्यालय था

i) विद्यालय हेतु भूमि उच्च धनी व सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा दान में दी जाती थी
ii) विद्यालयों की स्थिति बहुत समृद्ध नहीं थी

iii) विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का वेतन अत्यन्त कम था।

iv) उस समय कुछ गिने चुने धनी व प्रगतिशील घरों में ही बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध था। अन्यथा तो स्त्री शिक्षा के नाम पर लोगो में डर व्याप्त था।

v) हिन्दू पाठशालाओं में भारतीय संस्कृति, संस्कृत व बंगला भाषा का अध्ययन कराया जाता था जबकि मुस्लिम विद्यालयों में अरबी, फारसी भाषाओं का अध्ययन कराया जाता था।

vi) उर्दू मुसलमानों में सामान्य प्रचलित आम बोलचाल की भाषा थी।

द्वितीय प्रतिवेदन (1836) → इस रिपोर्ट मे उसने जिला राजशाही ~~हैदराबाद~~ के थाना नंदूर के शैक्षिक आंकड़े प्रस्तुत किए

i) थाना नंदूर की कुल जनसंख्या 195296 पर 27 विद्यालय थे।

ii) ~~कुछ~~ कुल क्षेत्र में 405 गाँव थे जिसमें 200 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे

iii) कुल 27 विद्यालयों में 10 में बंग्ला, 4 में अरबी भाषा, 4 में फारसी, 2 में बंगाली व फारसी पढ़ायी जा रही थी।

iv) 238 गाँव के 1588 परिवारों के 2380 बच्चें घर में ही विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।

v) शिक्षकों का वेतन 5-5 रु थी।

vi) स्त्री शिक्षा का अभाव था।

तृतीय प्रतिवेदन (1838) → एडम्स ने Feb 1838 को अपनी तीसरी तथा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की इस रिपोर्ट में उसने मुर्शिदाबाद, वर्धमान, तिरहुत, वीरभूमि, दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके निम्नलिखित सूचनाएं संग्रहित की

i) उन समय इन पांचो क्षेत्रों में 2567 विद्यालयों संचालित किए जा रहे थे।

ii) उपर्युक्त विद्यालयों में लगभग 30900 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे

iii) बालिकाओं के लिए अलग से 6 विद्यालय थे जिसमे 210 छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही थी

iv) लगभग सभी विद्यालयों में बंग्ला, संस्कृत, अरबी, हिन्दी, फारसी भाषा का अध्ययन कराया जा रहा था।

v) उपर्युक्त भाषाओं में बंग्ला, हिन्दी, संस्कृत का अध्ययन हिन्दू तथा अरबी व फारसी का अध्ययन मुस्लिम करते थे।

vi) कुल आठ पाठशालाओं में उपर्युक्त भाषाओं के साथ ही अंग्रेजी भाषा पढ़ायी जाती थी जिसमे कुल 250 छात्र थे। विद्या

vii) विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था धनीवर्ग के लोग स्वेच्छा से कर रहे थे